



कार्यालय: अधिष्ठाता छात्र कल्याण सह मुख्य छात्रावास अधीक्षक
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,
सीतापुर रोड, लखनऊ।


पत्रांक: डी.एस.डब्ल्यू/2012/132

दिनांक : 18-5-12

सूचना

संस्था के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्रतिपूर्ति एवं स्कालरशिप का फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त करके दिनांक 30.08.2012 तक निम्न अभिलेखों के साथ जमा करें। उक्त हेतु अर्हता निम्नवत् है:-

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो तथा सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2012 के पश्चात् बना हो।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
3. सामान्य वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। बैंक का खाता जनपद लखनऊ के किसी बैंक का होना चाहिये।
4. हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट मार्कशीट की छायाप्रति।
5. ₹0 10/- के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र। जिसका प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर लें।


(प्रो० अमरीक सिंह)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण सह मुख्य
छात्रावास अधीक्षक
9415018034



कार्यालय: अधिष्ठाता छात्र कल्याण सह मुख्य छात्रावास अधीक्षक
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,
सीतापुर रोड, लखनऊ।

पत्रांक: डी.एस.डब्ल्यू/2012/135

दिनांक: 13.08.2012

सूचना

संस्थान के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती हैं। आवश्यकतानुसार इस कार्यालय में सम्पर्क कर निम्नवत् सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1. चरित प्रमाण पत्र।
2. एअर/रेल/बस कन्सेशन टिकट।
3. आई-कार्ड।
4. विभिन्न प्रकार के स्कालरशिप/शुल्कप्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सूचनायें।
5. एजुकेशन लोन से सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन।
6. छात्रावास आवंटन सम्बन्धी सूचनायें।
7. गरीबी रेखा के नीचे यापन कने वाले छात्र/छात्राओं एवं विकलांग छात्र/छात्राओं हेतु विभिन्न प्रकार के स्कालरशिप की सुविधाओं सम्बन्धित जानकारी।

(प्रो० अमरीक सिंह)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण सह मुख्य
छात्रावास अधीक्षक

समक्ष: समाज कल्याण अधिकारी/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

शपथ पत्र

छात्र/छात्रा का नाम -----

पिता का नाम -----

प्रवेशित पाठ्यक्रम-----

पता -----

मैं घोषित करता/करती हूँ कि समाज कल्याण अधिकारी/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ को निर्धारित प्रारूप पर स्कालरशिप तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु जो सूचनायें फार्म में दी गयी हैं वह मेरे जानकारी में सही हैं तथा मैं विश्वास करता/करती हूँ उपरोक्त सूचनायें सही हैं, मुझे अन्य किसी स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पायी जाती तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

दिनांक: